संख्याः 0169 /XXXVIII(1)/178–वि0प्रौ0/2005

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय,
पंतनगर, उधमसिंह नगर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून : दिनांक: 25 अक्टूबर, 2005

विषयः उत्तरांचल राज्य बायोटेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन मॉउन्टेन बायोलॉजी के लेबरोटरी के निर्माणाधीन भवन में अतिरिक्त आवश्यक कार्यो को पूर्ण करने हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डा0 एल0एम0एस0 पालनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार एवं परियोजना निदेशक, हल्दी, पंतनगर के पत्र संख्याः ब0टे0अ0/स0म0क0निनि0/05/25, दिनांक: 09.08.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य बायोटेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन माउॅन्टेन बायोलॉजी के लेबरोटरी के निमार्णाधीन भवन में अतिरिक्त आवश्यक कार्यो को पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत रूपये 67.12 लाख आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रूपये 59.84 लाख (रूपये उन्नसठ लाख चौरासी हजार मात्र) के आगंणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2005–06 में करने का कष्ट करें, यदि तिथि के उपरांत कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसका नियमानुसार शासन को दिनांक: 31.03.2006 तक समर्पण कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध करायी जाये। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद ही आगामी किश्त उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद दी जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेंन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से संबंधित बिल आपके द्वारा तैयार कर इन बिलो पर जिलाधिकारी, धमसिंह नगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरांत ही कोषागार में जमा किया जायेगा।

– कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

– कार्य करने के पूर्व किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

– टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दु 1 से 8 तक में दर्शायी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाऐ।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायें।

3– कार्य का उतना ही व्यय किया जाये, जितना कि स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जायें।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांती निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्दवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जायें, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायें।

10– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

11– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

12– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या–23 मुख्यलेखाशीर्षक–3425, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 004–अनुसंधान तथा विकास, 04–गोविन्द वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, आयोजनागत–00 के अन्तर्गत मानक मद संख्या 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: वी0ओ0: 16/XXVII(5)/2005, दिनांक: 21.10.2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2169 /XXXVIII(1)/178–वि0प्रो0/2005 :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
4– डा0 एल0एम0एस0 पालनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार, हल्दी, पंतनगर।
5– अपर सचिव, वित्त बजट।
6– प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल को टी0ए0सी0 द्वारा जॉच की गयी आंगनन की प्रतियों सहित।
7– वित्त अनुभाग–3
8– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।